राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही(राजस्थान)

क्रमांक / सामान्य / 2021 / 47 दिनांक :15.01.2021

निमित्त :–

सलाहकार महोदय,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिन्सीपल बैंच,
नई दिल्ली

विषय :– ओरिजनल प्रार्थना पत्र संख्या 757 / 2019 मनमोहन मिश्रा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।

प्रसंग :– आपका ईमेल सदेंश दिनांक 13.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक ईमेल मैसेज के संदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या सामान्य / 2020 / 40 दिनांक 19.01.2020 से ओरिजनल प्रार्थना पत्र संख्या 757 / 2019 मनमोहन मिश्रा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मे अकिंत तथ्यो के संबंध मे आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत से रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई गई। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल प्रिन्सिपल बैंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.05.2020 के क्रम मे आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत की रिपोर्ट अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

याचिका में मूलतः ईको सेसिंटीव जोन आबूपर्वत मे ईको सेसिंटीव जोन के नोटिफिकेशन एवं जोनल मास्टर प्लान 2030 के विरूद्व अवैध निर्माण के संबंध मे है। वर्तमान मे आबूपर्वत मे अवैध निर्माण एवं अन्य गतिविधियो के संबंध मे निम्नानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है।

1. नियमों के विरूद्ध पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी जाती है।
2. पालिका क्षेत्र में मरम्मत / पुनर्निमाण हेतु अनुमति जरूरतमंद को सक्षम अधिकारी द्वारा क्षतिग्रस्त / जर्जर भाग के फोटो, शपथ पत्र, भूमि दस्तावेज, अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर एवं सामग्री की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रख कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त कोई नया निर्माण होता है तो उसे ध्वस्त किया जाता है।
3. अवैध पुनर्निमाण या निर्माण होता है तो उसे ध्वस्त किया गया है।

4. राज्य–सरकार स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक 96913–96925 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार संग्रहित/जब्त प्लास्टिक को जे.के. सिमेन्ट फैक्ट्री, बनास जिला सिरोही को दिया जा रहा है।

5. Eco-sensitive Zone के नगरपालिका क्षेत्र में मल एवं वहीस्त्रावों के निस्तारण हेतु आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट आबूपर्वत के हेटमजी क्षेत्र में स्थापित किए जा चुका है व 2 पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे है। आर.यू. आई.डी.पी. द्वारा अब तक 89.96 प्रतिशत सीवरेज लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 82.34 प्रतिशत मेनहोल बन चुके है।

6. Eco-sensitive Zone में निर्माण एवं अतिक्रमण की गतिविधियों को रोकने के लिए नगरपालिका स्तर पर राजस्व निरीक्षक के अधीन मॉनीटरिंग टीम का गठन किया हुआ है। जिसमें नोडल अधिकारी सहित 7 सदस्यों की टीम गठित की गई है जो निरन्तर समस्त वार्डो की मॉनेटरिंग करती है। साथ ही समस्त वार्डो मे हल्का अधिकारी एवं जमादार की नियुक्ति भी की गई है, जो प्रतिदिन की सूचना नगरपालिका में नोडल अधिकारी को प्रदान करते है। जिस पर तत्काल रूप से कार्यवाही कर/नोटिस प्रदान कर/सीज कर/पाबन्द कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

7. Use of Plastics: नगरपालिका आबूपर्वत क्षेत्र में ESZ नोटिफिकेशन के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त 2019 से प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। लोगो को प्रोत्साहित करने हेतु नगरपालिका से स्वयं एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिल कर कपडे व जूट के थैले वितरीत किए गए है। आम लोगो के साथ साथ पर्यटकों को जागरूक करने हेतु प्रचार–प्रसार हेतु रैलियां निकाली गई एवं होर्डिंग भी लगाए गए है। रोक के बावजूद भी उपयोग करने वाले व्यक्तियो पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माने से अब तक लगभग रूपये 144250 वसूल किये गये एवं 1237 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया।

8. Noise pollution: नगरपालिका आबूपर्वत क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, माइक आदि बजाने की इजाजत नहीं है। होटल इत्यादि

स्थानों पर ध्वनी प्रदूषण न हो इस हेतु उन्हे पाबंद किया गया है व पुलिस प्रशासन के सहयोग से इसकी पालना करवाई जा रही है।

9. Development on and protection of hill slopes: Eco-sensitive Zone नोटिफिकेशन के बाद से क्षेत्र में ढाल वाली भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं किया गया है। भूमि का कटाव न हो उसके संरक्षण के प्रयास व कार्य किए जा रहे है।

10. Discharge of sewage and effluents: Eco-sensitive Zone के नगरपालिका क्षेत्र में मल एवं वहीस्त्रावों के निस्तारण हेतु आर.यू.आई.डी.पी .द्वारा सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट आबूपर्वत के हेटमजी क्षेत्र में स्थापित किए जा चुका है व 2 पम्पिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे है। आर.यू.आई.डी.पी .द्वारा अब तक 89.96 प्रतिशत सीवरेज लाईन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 82.34 प्रतिशत मेनहोल बन चुके है। 3 चल शौचालय नगरपालिका के पास उपलब्ध है। इन चल शौचालयो को सार्वजनिक एवं अन्य समारोह में लगाया जाता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 96 स्थायी शौचालयों का निर्माण किया गया है। इन शौचालयों की प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई का कार्य भी किया जा रहा है।

11. Solids Waste: नोटिफिकेशन एवं सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट रूल्स 2016 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में गीला एवं सूखा कचरा घर–घर से संग्रहण का कार्य संवेदक के माध्यम से करवाया जा रहा है, गीले एवं सूखे कचरे को घरों में एकत्र करने हेतु सभी परिवारों को डस्टबीन वितरीत किए गए है। जिसकी निगरानी एवं मॉनीटरिंग प्रशासन एवं नगरपालिका द्वारा विभिन्न स्तरो पर की जा रही है। नगरपालिका क्षेत्र से एकत्र किया हुआ ठोस एवं अवशिष्ट कचरे को Eco-sensitive Zone क्षेत्र से बाहर डम्पिंग यार्ड में डलवाया जा रहा है।

12. Natural Springs: Eco-sensitive Zone क्षेत्र में आने वाले सभी प्राकृतिक झरनों को संरक्षित किया गया है। इनके बहाव क्षेत्र के आस पास के क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है व किसी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

13. Hill Roads: Eco-sensitive Zone क्षेत्र में सडकों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पहाडी क्षेत्रों के मानको अनुसार किया जा रहा है। जिनका नियमित रखरखाव किया जा रहा है। नगरालिका क्षेत्र की सडकों में सुरक्षा दीवार निर्मित की गई है।

14. Monitoring Committee: भारत–सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25.06.2009 के अन्तर्गत माउण्ट–आबू Eco-sensitive Zone की निगरानी हेतु मॉनेटरिंग कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की अब तक कुल 18 बैठक आयोजित हुई। कमेटी में हुए निर्णय अनुसार कार्यवाही की गई।

15. **Building Bylaws :-** भारत–सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25.06.2009 में दिये गये निर्देशो की पालना में बिल्डिगं बॉयलॉज दिनांक 09.03.2019 को प्रभावी कर लागू किया गया है।

भवदीय

15/1/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही